न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ
साहून खां बनाम सत्तार खां वगै0
प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
03.08.2021	आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट वकील सायल द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, जमाबंदी संवत् 2072–2075 व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता सायल की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.10.2021 तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 हाल 295,178, 179,183,416/358,296,293,324,300,294,346 वाके ग्राम खेडा का बास पटवार हल्का खेडामहमूद तहसील गोविन्दगढ में सायल को उसके हिस्से मुताबिक सामलात कब्जे कास्त करने में रूकावट मजाहमत पैदा ना करें, आराजी को रहन बय मुंतकिल ना करें। पटवार हल्का खेडामहमूद व ग्राम पंचायत खेडामहमूद गैरसालयान द्वारा प्रस्तुत नुमाईशी दस्तावेजात के आधार पर इनके नाम नामान्तकरण दर्ज वो तस्दीक नहीं करें। प्रार्थी के हिस्से तक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें । यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 20.10.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करे कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे ? पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर दिनांक 20.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर	

20/10/21

29-12-21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
06.10.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब .... अवकाश पर .... । पत्रावली दिनांक 23.10.23 को पेश हो। रीडर
23.10.23	पत्रावली पेश हुई। आज बार द्वारा कार्य स्थगित किया है। P.O. साहब ...... अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 11/12/23 को पेश हो। रीडर
11.12.23	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र -212 RTA का मूल दावा वकील व उनके वादी की अदम हाजिरी - अदम पैरवी में खारिज हो गया। अत: प्रार्थना पत्र-212 RTA के चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र-212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद शामिल तकमील मूल वाद के संलग्न है। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०